W.S.

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

सेवा में,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
मण्डल– आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद,मेरठ, लखनऊ एवं वाराणसी।

पत्रांकः आर0ई0एम0एस0बजट / 3064 / 2015–16   21   दिनांकः 21 / 9 / 2015

विषयः अनुश्रवण, मूल्याकंन एवं पर्यवेक्षण हेतु बजट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2015–16 में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सघन अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय कार्यालयों को आर0ई0एम0एस0 मद से प्रति मण्डल रु0 1,00,000 / –की दर से धनराशि अनुमन्य की गई है, जिसके सापेक्ष 75% धनराशि रु0 75,000 / – प्रति मण्डल अवमुक्त की जा रही है।

समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों का अनुश्रवण करेंगे तथा निरन्तर जनपदों में भ्रमण कर निर्माण कार्यों, के0जी0बी0वी0, एक्सीलेरेटड लर्निंग कैम्प, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालयों में गुणवत्तापरक शिक्षा, भौतिक अवस्थापनाओं की उपलब्धता तथा कियाशीलता, अध्यापकों एवं छात्रों की नियमित उपस्थिति, विद्यालय प्रबन्ध समितियों की नियमित बैठकें, विद्यालयों को विद्यालय विकास अनुदान, मरम्मत एवं रख–रखाव अनुदान, निर्माण कार्य हेतु धनराशि, निःशुल्क यूनीफार्म हेतु धनराशि की उपलब्धता एवं उपभोग, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सहायतित शिक्षा कार्यक्रम का सुचारु कार्यान्वयन, मध्याहन भोजन योजना का निरीक्षण, शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन, हाऊस होल्ड सर्वे, यूनीफाईड डायस का समयबद्ध क्रियान्वयन जनपदों द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट की तैयारी तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सतत् निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करेंगे। आवश्यकतानुसार जनपदीय एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की समीक्षा बैठकें आयोजित कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने में अपना निरन्तर सहयोग करेंगे।

आर0ई0एम0एस0 मद से अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्यतः किया जाये–

1. धनराशि जिस मद में स्वीकृत की गयी है इसके अतिरिक्त अन्य मद में कदापि व्यय न की जाये।
2. व्यय अवमुक्त धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जाये।
3. समस्त व्यय सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों (Manual on financial management and procurement) के अनुसार किया जाये।
4. व्यय सम्बन्धी उपभोग प्रमाण पत्र समयान्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।

दूरभाषः 2780995 **फैक्सः** 0522-2781123, 2780998 **ई–मेलः** *spdup@rediffmail.com; upefaspo@gmail.com* **वेब–साइटः** *www.upefa.com*

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए कार्यक्रमों के सघन अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

संलग्नक उक्तवत्।

भवदीया,

18/9.

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृष्ठांकन संख्याः आर0ई0एम0एस0बजट / / 2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :–

1. मंडलायुक्त, समस्त मण्डल, उ0प्र0को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आर0ई0एम0एस0 के अन्तर्गत कार्यो की समीक्षा अपने स्तर से करने का कष्ट करें।
2. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(शीतल वर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

वर्ष 2015–16 में मण्डलवार शोध, मूल्याकंन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण (REMS) मद के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि

(रु0लाख में)

क्र0सं0	जनपद	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि (75 %)
1	2	3	4
1	आगरा	1.00	0.75
2	अलीगढ़	1.00	0.75
3	इलाहाबाद	1.00	0.75
4	आजमगढ़	1.00	0.75
5	कानपुर	1.00	0.75
6	गोरखपुर	1.00	0.75
7	झांसी	1.00	0.75
8	फैजाबाद	1.00	0.75
9	बरेली	1.00	0.75
10	मुरादाबाद	1.00	0.75
11	मेरठ	1.00	0.75
12	लखनऊ	1.00	0.75
13	वाराणसी	1.00	0.75
14	देवीपाटन	1.00	0.00
15	सहारनपुर	1.00	0.00
16	चित्रकूट	1.00	0.00
17	बस्ती	1.00	0.00
18	मिर्जापुर	1.00	0.00
	योग	**18.00**	**9.75**